[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 19 मई, 2016

आय घोषणा स्कीम नियम, 2016

अधिसूचना

का0आ0 1831(अ)- वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) की धारा 199 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार के नियंत्रण के अध्यधीन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, उक्त अधिनियम के आय घोषणा स्कीम, 2016 से संबंधित अध्याय 9 के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय घोषणा स्कीम नियम, 2016 है।

(2) ये 1 जून, 2016 को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से वित्त अधिनियम, 2016 (2016 का 28) अभिप्रेत है ;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है ;

(ग) "मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज" का वही अर्थ होगा, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 2 के खंड (च) में है ;

(घ) "रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक" से धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 34कख के अधीन मूल्यांकक के रूप में रजिस्ट्रीकृत कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ङ) "धारा" से इस अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम या आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) या उसके अधीन बनाए गए नियमों में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उन अधिनियमों और नियमों में क्रमश: उनके हैं।

3. उचित बाजार मूल्य का अवधारण – (1) आस्तियों के उचित बाजार मूल्य को निम्नलिखित रीति में अवधारित किया जाएगा, अर्थात् :--

(क) बुलियन, आभूषण या बहुमूल्य रत्न का मूल्य निम्नलिखित से अधिक होगा,-

(I) उसके अर्जन की लागत ; और

(II) वह कीमत, जो ऐसे बुलियन, आभूषण या बहुमूल्य रत्न की सामान्यतया तब होगी यदि उसका 1 जून, 2016 को घोषणाकर्ता द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक से अभिप्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर खुले बाजार में विक्रय किया जाए ;

(ख) पुरातत्व संग्रह, रेखाचित्र, रंगचित्र, मूर्ति या कोई कलाकृति (जिसे इसमें इसके पश्चात् कलात्मक कृति कहा गया है) का मूल्यांकन निम्नलिखित से अधिक होगा,-

(I) उसके अर्जन की लागत ; और

(II) वह कीमत, जो कलात्मक कृति की सामान्यतया तब होगी यदि उसका 1 जून, 2016 को घोषणाकर्ता द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक से अभिप्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर खुले बाजार में विक्रय किया जाए ;

(ग) शेयरों और प्रतिभूतियों का मूल्य,-

(I) उत्कथित शेयर और प्रतिभूतियां निम्नलिखित से अधिक होंगे,-

(i) उसके अर्जन की लागत ; और

(ii) वह कीमत, जो निम्नलिखित को लेकर अवधारित की जाए,-

(अ) 1 जून, 2016 को किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में उत्कथित ऐसे शेयरों और प्रतिभूतियों की न्यूनतम और उच्चतम कीमत का औसत लेकर ; या

(आ) जहां 1 जून, 2016 को ऐसे शेयर और प्रतिभूतियों का किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में कोई व्यापार नहीं हुआ है, वहां किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में 1 जून, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती किसी ऐसी तारीख को, जब किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में ऐसे शेयरों और प्रतिभूतियों का व्यापार किया गया था, ऐसे शेयरों और प्रतिभूतियों की न्यूनतम और उच्चतम कीमत का औसत लेकर ;

(II) अउत्कथित साधारण शेयर निम्नलिखित से अधिक होंगे,-

(i) उसके अर्जन की लागत ; और

(ii) ऐसे साधारण शेयरों का 1 जून, 2016 को मूल्य, जो निम्नलिखित रूप में अवधारित किया जाए, अर्थात् :-

$$\text{अउत्कथित साधारण शेयरों का उचित बाजार मूल्य} = \frac{(A+B-L) \times (PV)}{(PE)}$$

जहां,

A = तुलन पत्र में सभी आस्तियों का वही मूल्य (बुलियन, आभूषण, बहुमूल्य रत्न, कलात्मक कृति, शेयर, प्रतिभूति और स्थावर संपतति से भिन्न) जो निम्नलिखित से घटाकर आता हो,-

(i) संदत्त आयकर, यदि कोई हो, की कोई भी रकम, उसमें आयकर की दावाकृत प्रतिदाय की रकम, यदि कोई हो, को घटाकर ; और

(ii) आसति के रूप में दर्शायी गई कोई भी रकम, जिसके अंतर्गत आस्थगित व्यय की ऐसी अक्रमिक अपारण रकम भी है, जो किसी आसति के मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करती है ;

B = तुलन पत्र में सभी आस्तियों का बही मूल्य बुलियन, आभूषण, बहुमूल्य रत्न, कलात्मक कृति, शेयर, प्रतिभूति और स्थावर संपतति का उचित बाजार मूल्य, जो इस नियम में उपबंधित रीति में अवधारित किया जाए ;

L = तुलन पत्र में दर्शाए गए दायित्वों का बही मूल्य, किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित रकमें नहीं हैं, अर्थात् :--

(i) साधारण शेयरों की बाबत समादत्त पूंजी ;

(ii) अधिमानी शेयरों और साधारण शेयरों पर लाभांशों के संदाय के लिए पृथक् की गई रकम ;

(iii) आरक्षितियां और अधिशेष, जिस भी नाम से ज्ञात हों, चाहे परिणामी अंक नकारात्मक हो, उससे भिन्न जो अवक्षयण हेतु पृथक् किया गया है ;

(iv) संदत्त आयकर की रकम, यदि कोई हो, से भिन्न कराधान के लिए उपबंध का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई रकम, उसमें उसको लागू विधि के अनुसार बही लाभ के संदर्भ में संदेय कर से आधिक्य के विस्तार तक प्रतिदाय के रूप में दावाकृत आयकर की रकम, यदि कोई हो, को घटाकर ;

(v) अभिनिश्चित दायित्वों से भिन्न दायित्वों की पूर्ति के लिए किए गए उपबंधों का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई भी रकम ;

(vi) संचयी अधिमानी शेयरों की बाबत संदेय लाभांशों के बकाया से भिन्न समाश्रित दायित्वों का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई भी रकम ;

PE = समादत्त साधारण शेयर पूंजी की कुल रकम, जो तुलन पत्र में दर्शित है ;

PV = ऐसे साधारण शेयर का समादत्त मूल्य ;

(III) किसी कंपनी में साधारण शेयर से भिन्न अउत्कथित शेयर और प्रतिभूति निम्नलिखित से अधिक होंगे,-

(i) उसके अर्जन की लागत ; और

(ii) वह कीमत, जो शेयर या प्रतिभूति की सामान्यतया तब होगी यदि उसका 1 जून, 2016 को घोषणाकर्ता द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक से अभिप्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर खुले बाजार में विक्रय किया जाए ;

(घ) किसी स्थावर संपत्ति का उचित बाजार मूल्य निम्नलिखित से अधिक होगा, अर्थात् :--

(i) उसके अर्जन की लागत ; और

(ii) वह कीमत, जो संपत्ति की सामान्यतया तब होगी यदि उसका 1 जून, 2016 को घोषणाकर्ता द्वारा किसी रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक से अभिप्राप्त मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर खुले बाजार में विक्रय किया जाए ;

(ड.) किसी भागीदारी फर्म में या व्यक्तियों के किसी संगम में या किसी सीमित दायित्व भागीदारी में, जिसका कोई व्यक्ति सदस्य है, उसके किसी हित का मूल्य खंड (च) में यथा विनिर्दिष्ट रीति में अवधारित किया जाएगा ;

(च) 1 जून, 2016 को फर्म, व्यक्तियों का संगम या सीमित दायित्व भागीदारी की शुद्ध आस्ति का सर्वप्रथम अवधारण किया जाएगा और फर्म, व्यक्तियों का संगम या सीमित दायित्व भागीदारी की शुद्ध आस्ति का वह भाग, जो उसकी पूंजी की रकम के बराबर है, उसके भागीदारों या सदस्यों में ऐसे अनुपात में आबंटित किया जाएगा, जिसमें उनके द्वारा पूंजी का अभिदाय किया गया है और शुद्ध आस्ति का शेष भाग भागीदारों या सदस्यों में, फर्म, संगम या सीमित दायित्व भागीदारी के विघटन की दशा में आस्तियों के वितरण के लिए भागीदारी या संगम या सीमित दायित्व भागीदारी के करार के अनुसार आबंटित किया जाएगा या ऐसे करार के अभाव में ऐसे अनुपात में आबंटित किया जाएगा, जिसमें भागीदार या सदस्य, लाभों में अंश के हकदार हैं और किसी भागीदार या सदस्य को इस प्रकार आबंटित रकम की कुल राशि को भागीदारी या संगम में उस भागीदार या सदस्य के हित के मूल्य के रूप में समझा जाएगा ;

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए फर्म, व्यक्तियों का संगम या सीमित दायित्व भागीदारी की शुद्ध आस्ति (A+B-L) होगी, जिसे खंड (ग) के उपखंड (II) में उपबंधित रीति में अवधारित किया जाएगा ;

(छ) किसी अन्य आस्ति का मूल्यांकन निम्नलिखित से अधिक होगा, अर्थात् :--

(I) उसके अर्जन की लागत या विनिधान की गई रकम ; और

(II) वह कीमत, जो आस्ति की सामान्यतया तब होगी यदि उसका 1 जून, 2016 को खुले बाजार में विक्रय किया जाए।

स्पष्टीकरण—इस नियम के प्रयोजनों के लिए,-

(क) शेयर या प्रतिभूति के संबंध में, ''उत्कथित शेयर या प्रतिभूति'' से समय-समय पर नियमितता से किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में उत्कथित शेयर या प्रतिभूति अभिप्रेत है, जहां ऐसे शेयरों या प्रतिभूतियों की कोटेशन कारबार के सामान्य अनुक्रम में किए गए चालू संव्यवहार पर आधारित है ;

(ख) अउत्कथित शेयर या प्रतिभूति के संबंध में, ''अउत्कथित शेयर या प्रतिभूति'' से ऐसा शेयर या प्रतिभूति अभिप्रेत है, जो उत्कथित शेयर या प्रतिभूति नहीं है ;

(ग) किसी कंपनी के संबंध में, ''तुलन पत्र'' से किसी कंपनी का 31 मार्च, 2016 को यथाविद्यमान तुलन पत्र अभिप्रेत है (जिसके अंतर्गत उससे उपाबद्ध और लेखाओं का भाग बनने वाली टिप्पणियां भी हैं), जिसकी संपरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन नियुक्त किए गए कंपनी के संपरीक्षक द्वारा की गई है और जहां 31 मार्च, 2016 को यथाविद्यमान तुलन पत्र की संपरीक्षा नहीं की गई है, वहां वह तुलन पत्र (जिसके अंतर्गत उससे उपाबद्ध और लेखाओं का भाग बनने वाली टिप्पणियां भी हैं), जिसे कंपनी के शेयर धारकों के वार्षिक साधारण अधिवेशन में अनुमोदित और अंगीकृत किया

गया है।

(2) जहां किसी आस्ति में विनिधान भागत: किसी ऐसी आय से है, जिसे निर्धारण वर्ष 2017-18 के पूर्व कर के लिए निर्धारित किया गया है, वहां उपनियम (1) के अनुसार अवधारित आस्ति के उचित बाजार मूल्य में से ऐसी रकम को उसी अनुपात में घटाया जाएगा, जो 1 जून, 2016 को यथा विद्यमान आस्ति का मूल्य है, जो आस्ति की कुल लागत से निर्धारित आय का है।

4. आय या किसी आस्ति में विनिधान के रूप में आय की घोषणा

(1) धारा 183 के अधीन आय या किसी आस्ति में विनिधान के रूप में आय की घोषणा प्ररूप-1 में की जाएगी।

(2) घोषणा निम्नलिखित रूप में दी जाएगी-

(क) अंकीय हस्ताक्षर के अधीन इलेक्ट्रानिक रूप से ; या

(ख) इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड के अधीन इलेक्ट्रानिक रूप से डाटा के पारेषण के माध्यम से ; या

(ग) ऐसे संबंधित प्रधान आयुक्त या आयुक्त को, जिसकी घोषणाकर्ता पर अधिकारिता है, प्रिंट रूप में ;

(3) प्रधान आयुक्त या आयुक्त उस मास के अंत से, जिसमें धारा 183 के अधीन घोषणा की गई है, पन्द्रह दिन के भीतर घोषणाकर्ता को प्ररूप-2 में अभिस्वीकृति जारी करेगा।

(4) घोषणाकर्ता द्वारा, प्रधान आयुक्त या आयुक्त द्वारा जारी की गई अभिस्वीकृति के अनुसरण में किए गए कर, अधिभार और शास्ति के संदाय का सबूत ऐसे प्रधान आयुक्त या आयुक्त को प्ररूप-3 में दिया जाएगा।

(5) प्रधान आयुक्त या आयुक्त, इस प्रकार घोषित आय की बाबत अधिनियम की धारा 187 के अधीन घोषणाकर्ता द्वारा शास्ति सहित कर, अधिभार के संदाय के सबूत के प्रस्तुत किए जाने के पन्द्रह दिन के भीतर घोषणाकर्ता को प्ररूप-4 में प्रमाणपत्र प्रदान करेगा।

(6) प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) डाटा के सुरक्षित प्रग्रहण और पारेषण को सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रिया, रूप विधान और मानक विनिर्दिष्ट करेगा और उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति में प्ररूप देने के संबंध में समुचित सुरक्षा, प्रलेखीय और सुधार नीतियों को तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण-- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, ''इलेक्ट्रानिक सत्यापन कोड'' से प्रधान आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या आयकर महानिदेशक (प्रणाली) द्वारा विनिर्दिष्ट डाटा संरचना और मानकों के अनुसार आय की विवरणी देने वाले व्यक्ति के इलेक्ट्रानिक सत्यापन के प्रयोजन के लिए सृजित कोड अभिप्रेत है।

आय घोषणा स्कीम, 2016 की बाबत वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 183 के अधीन घोषणा का प्ररूप

आय घोषणा स्कीम नियम, 2016

प्ररूप 1

[नियम 4(1) देखिए]

सेवा में,

प्रधान आयुक्त/आयुक्त

.....

महोदय/महोदया

मैं वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 183 के अधीन घोषणा करता हूं। मैं आवश्यक विशिष्टियां नीचे दे रहा हूं :--

1. घोषणाकर्ता का नाम .....
2. पता : कार्यालय.....

.....

ई-मेल.....दूरभाष .....

निवास.....

.....

ई-मेल.....दूरभाष .....

3. स्थायी लेखा संख्यांक (पैन) .....

(यदि पैन नहीं है, तो कृपया पैन के लिए आवेदन करें और यहां उत्कथित करें)

4. घोषणाकर्ता की प्रास्थिति

(क) क्या व्यष्टि, हिन्दू अविभक्त कुटुंब, फर्म, कंपनी आदि है, विवरण दें .....

(ख) क्या निवासी है/अनिवासी है/साधारणतया निवासी नहीं है, विवरण दें .....

5. उन निर्धारण वर्षों से संबंधित ब्यौरे, जिनके लिए घोषणा की गई है :

निर्धारण वर्ष	क्या आय की विवरणी फाइल की गई (हां/नहीं)	यदि स्तंभ (2) का उत्तर हां है, तो विवरणी में दी गई/निर्धारित आय बताएं	निर्धारण अधिकारी (वार्ड/सर्किल) यदि विवरणी कागज में लिखित रूप में दी गई है
(1)	(2)	(3)	(4)

6. अप्रकटित आय का विवरण उपाबंध के अनुसार

7. अप्रकटित आय की घोषणा की कुल रकम .....रु0

8. उस पर संदेय कर (मद 7 के 30% की दर से) .....रु0

9. उस पर संदेय अधिभार (मद 8 के 25% की दर से) .....रु0

9. उस पर संदेय शास्ति (मद 8 के 25% की दर से) .....रु0

11. उपरोक्त मद 8, 9 या 10 की बाबत घोषणा की तारीख को या उससे पहले संदत्त कर, यदि कोई हो .....रु0

(संदाय का सबूत संलग्न करें और नीचे ब्यौरे दें)

क्र. सं.	बैंक का बीएसआर कोड	जमा की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	चालान का क्रम संख्यांक	रकम (रु0)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

12. संदेय अतिशेष कर .....

सत्यापन

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....
(पूरा नाम, स्पष्ट अक्षरों में) (पिता/पति का नाम)

सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूं कि-

(क) इस घोषणा में दी गई सूचना मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण हैं।

(ख) निर्धारण वर्ष (वर्षों) की बाबत मेरी स्वयं की आय के अतिरिक्त, जिसके लिए घोषणा की गई है, ऐसे अन्य व्यक्तियों की आय, जिसकी बाबत मैं कर से प्रभार्य हूं और मेरे द्वारा किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के माध्यम से धारित आस्तियों से प्रोद्भूत या उद्भूत आय, जिसके लिए मैं आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 के अधीन विवरणी देने में असफल हुआ था/जिसे स्कीम के आरंभ से पहले मेरे द्वारा दी गई आय की विवरणी में प्रकट करने में असफल हुआ था/जो अन्यथा निर्धारण से बच गई थीं, को भी इस घोषणा में प्रकट किया गया है ;

(ग) किसी ऐसे अन्य व्यक्ति की आय को, जिसकी बाबत मैं कर से प्रभार्य नहीं हूं, इस घोषणा में सम्मिलित नहीं किया गया है ;

(घ) विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 की बाबत वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 196 के खंड (क) के उपबंध मुझ पर लागू नहीं होते हैं ;

(ड.) भारतीय दंड संहिता, स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985, विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की बाबत वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 196 के खंड (ख) के उपबंध मुझ पर लागू नहीं होते हैं ;

(च) अधोहस्ताक्षरकर्ता को विशेष न्यायालय (प्रतिभूति संव्यवहार अपराध विचारण) अधिनियम, 1992 की धारा 3 के अधीन अधिसूचित नहीं किया गया है ;

(छ) घोषित आय, कालाधन (अप्रकटित विदेशी आय और आस्ति) और कर अधिरोपण अधिनियम, 2015 के अधीन कर से प्रभार्य नहीं है ;

(ज) घोषित आय, निर्धारण वर्ष के सुसंगत किसी पूर्ववर्ष के लिए आयकर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य नहीं है,-

(i) जहां आयकर अधिनियम की धारा 142 या धारा 143 की उपधारा (2) या धारा 148 या धारा 153क या धारा 153ग के अधीन ऐसे निर्धारण वर्ष की बाबत कोई नोटिस प्राप्त हुआ है और निर्धारण अधिकारी के समक्ष कार्यवाही लंबित है ;

(ii) जहां किसी पूर्ववर्ष में आयकर अधिनियम की धारा 132 के अधीन तलाशी ली गई है या धारा 132क के अधीन अध्यपेक्षा की गई है या धारा 133क के अधीन सर्वेक्षण किया गया है और ऐसे पूर्ववर्ष के सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए उक्त अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन कोई नोटिस या ऐसे पूर्ववर्ष के पहले किसी पूर्ववर्ष के सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए उक्त अधिनियम की धारा 153क के अधीन या धारा 153ग के अधीन कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है और ऐसे नोटिस के जारी किए जाने का समय समाप्त नहीं हुआ है।

(झ) बेनामी संपत्ति में विनिधान के रूप में घोषित और बेनामीदार के नाम में विद्यमान अप्रकटित आय को 30 सितंबर, 2017 को या उससे पहले वास्तविक स्वामी के नाम में अंतरित कर दिया जाएगा, जिसमें असफल रहने पर बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 के अधीन उन्मुक्ति उपलब्ध नहीं होगी।

मैं यह और घोषणा करता हूं कि मैं यह घोषणा.....की हैसियत से कर रहा हूं

(पदनाम)

और यह कि मैं यह घोषणा करने के लिए सक्षम हूं और इसे सत्यापित करता हूं।

.....

(हस्ताक्षर)

स्थान.....

तारीख.....

*जो लागू न हो, उसे काट दें।

प्ररूप 1 का उपाबंध

अप्रकटित आय का विवरण

अप्रकटित आय और आस्तियों में विनिधान के रूप में घोषित आय का विवरण (समान वर्ग में बहु आस्तियों की दशा में पृथक् पन्ने का उपयोग करें)

I. कुल अप्रकटित आय

क्र.सं.	निर्धारण वर्ष, जिससे अप्रकटित आय संबंधित है	अप्रकटित आय की रकम (रु0 में)	अप्रकटित आय की प्रकृति
कुल योग (प्ररूप की मद 7 से लिया जाना है)			

II. क्या उपरोक्त (I) में निर्दिष्ट आय का कोई भाग आस्ति में विनिधान के रूप में है

हां	नहीं

III. यदि उपरोक्त (II) का उत्तर हां है तो आस्तियों में विनिधान के रूप में घोषित अप्रकटित आय का विवरण दें (समान वर्ग में बहु आस्तियों की दशा में पृथक् पन्ने का उपयोग करें)

1. स्थावर संपत्ति (मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न करें)

(i) संपत्ति की प्रकृति (भूमि/भवन/फ्लैट आदि) .....

(ii) संपत्ति का पता .....

(iii) नाम, जिसके/जिनके अधीन धारित है .....

(iv) अर्जन की तारीख .....

(v) कुल अर्जन लागत .....

(vi) 01.06.2016 को रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा यथा प्राक्कलित मूल्य .....

(vii) नियम 3 के अनुसार उचित बाजार मूल्य .....

2. आभूषण (मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न करें)

(क) स्वर्ण

(I) शुद्धता....., भार....., मूल्य.....

(II) शुद्धता....., भार....., मूल्य.....

(ख) हीरा (1 कैरेट या अधिक)

(I) कैरेट....., कट....., रंग....., शुद्धता....., मूल्य.....

(II) कैरेट....., कट....., रंग....., शुद्धता....., मूल्य.....

(ग) हीरा (1 कैरेट से कम) और अन्य बहुमूल्य रत्न मूल्य.....

(घ) अन्य बहुमूल्य धातु मूल्य.....

3. कलात्मक कृति (मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न करें)

(i) कलात्मक कृति की प्रकृति .....

(ii) नाम, जिसके/जिनके अधीन धारित है .....

(iii) अर्जन की तारीख .....

(iv) अर्जन की लागत .....

(v) रजिस्ट्रीकृत मूल्यांकक द्वारा कलाकृति का यथा प्राक्कलित मूल्य .....

(vi) नियम 3 के अनुसार उचित बाजार मूल्य .....

4. शेयर और प्रतिभूतियां

(क) उत्कथित शेयर और प्रतिभूतियां [नियम 3(1)(ग)(I)]

(i) प्रतिभूति/शेयर का विवरण

(अ) जारीकर्ता का नाम .....

(आ) प्रतिभूतियों/शेयरों की संख्या .....

(इ) प्रतिभूति/शेयर का प्रकार .....

(ii) मान्यताप्राप्त एक्सचेंज, जहां उत्कथित है .....

(iii) नाम, जिसके/जिनके अधीन धारित है .....

(iv) अर्जन की लागत .....

(v) अर्जन की तारीख/तारीखें .....

(vi) नियम 3(1)(ग)(I)(ii) के अधीन यथा अवधारित मूल्य .....

(vii) नियम 3 के अनुसार उचित बाजार मूल्य .....

(ख) अउत्कथित साधारण शेयर [नियम 3(1)(ग)(II)] (मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न करें)

(i) शेयर का विवरण

(अ) जारीकर्ता का नाम .....

(आ) शेयरों की संख्या .....

(इ) शेयर का प्रकार .....

(ii) नाम, जिसके/जिनके अधीन धारित है .....

(iii) अर्जन की लागत .....

(iv) अर्जन की तारीख/तारीखें .....

(v) नियम 3(1)(ग)(II)(ii) के अधीन यथा अवधारित मूल्य .....

(vi) नियम 3 के अनुसार उचित बाजार मूल्य .....

(ग) किसी कंपनी में साधारण शेयरों से भिन्न अउत्कथित शेयर और प्रतिभूतियां [नियम 3(1)(ग)(III)] (मूल्यांकन रिपोर्ट संलग्न करें)

(i) शेयर/प्रतिभूति का विवरण

(अ) जारीकर्ता का नाम .....

(आ) प्रतिभूतियों/शेयरों की संख्या .....

(इ) प्रतिभूति/शेयर का प्रकार .....

(ii) नाम, जिसके/जिनके अधीन धारित है .....

(iii) अर्जन की लागत .....

(iv) अर्जन की तारीख/तारीखें .....

(v) नियम 3(1)(ग)(III)(ii) के अधीन यथा अवधारित मूल्य .....

(vi) नियम 3 के अनुसार उचित बाजार मूल्य .....

5. कोई अन्य आस्ति

(i) आस्ति का विवरण .....

(ii) नाम, जिसके/जिनके अधीन धारित है .....

(iii) अर्जन/विनिधान की लागत .....

(iv) अर्जन/विनिधान की तारीख .....

(v) नियम 3(1)(छ)(II) के अधीन यथा अवधारित मूल्य .....

(vi) नियम 3 के अनुसार उचित बाजार मूल्य .....

6. घोषित समस्त आस्तियों का कुल मूल्य .....

7. आय घोषणा स्कीम नियम, 2016 के नियम 4 के अनुसार कटौती .....
(जहां आस्ति का भाग आयकर अधिनियम के अधीन पहले से निर्धारित आय से अर्जित है)
(प्रत्येक आस्ति की बाबत पृथकत: दिया जाना है)

8. उस निर्धारण वर्ष के सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान, जिसके लिए आयकर अधिनियम की धारा 142/धारा 142(2)/ धारा 148/ धारा 153क/ धारा 153ग के अधीन नोटिस जारी किया गया है, आस्ति में किए गए विनिधान के मद्दे कटौती .....

9. आस्ति में विनिधान के रूप में घोषित कुल अप्रकटित आय (6-7-8) .....

IV. (1) क्या पूर्वाक्त (I) में निर्दिष्ट अप्रकटित आय को कभी किसी बैंक खाते में जमा किया गया था हां । नहीं

(2) यदि हां, तो ऐसे बैंक खातों के ब्यौरे

बैंक का नाम और पता	आईएफएससी कोड	खाता धारक/धारकों के नाम	खाता संख्या	01.06.2016 को खाते में अतिशेष (यदि कोई हो)

.....
हस्ताक्षर

.....
नाम

स्थान .....
तारीख.....

टिप्पणियां :

1. यदि संदेय कर, अधिभार और शास्ति की कुल रकम का संदाय 30 नवंबर, 2016 से पहले नहीं किया गया है, तो घोषणा को शून्य समझा जाएगा और उसे कभी भी नहीं किया गया समझा जाएगा ।
2. यदि घोषणा व्यपदेशन द्वारा या तथ्यों को छिपाकर की गई है, तो घोषणा को शून्य समझा जाएगा और उसे कभी भी नहीं किया गया समझा जाएगा ।
3. यदि दिया गया स्थान अपर्याप्त है, तो इस प्रयोजन के लिए पृथक् संलग्नक प्रयुक्त किया जा सकेगा ।
4. अप्रकटित आय की प्रकृति से संबंधित सारणी के अंतिम स्तंभ में बिन्दु (I) में आय का प्रकार विनिर्दिष्ट करें, अर्थात् गृह संपत्ति से आय, कारबार से आय, वृत्ति से आय, कमीशन से आय, ब्याज से आय, आदि ।

आय घोषणा स्कीम, 2016 की बाबत वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 183 के अधीन घोषणा की अभिस्वीकृति

आय घोषणा स्कीम नियम, 2016

प्ररूप 2
[नियम 4(3) देखिए]

श्री/श्रीमती/सुश्री.....(जिसे इसमें इसके पश्चात् घोषणाकर्ता कहा गया है) ने वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 183 के अधीन घोषणा फाइल की है ;

और उक्त घोषणा.....को प्राप्त हुई है ;

इसलिए अब सुसंगत सामग्री पर विचार करने के पश्चात् मैं स्कीम के अधीन की गई घोषणा की बाबत आपके द्वारा संदेय निम्नलिखित रकम अवधारित करता हूं :

क्रम सं.	**निर्धारण वर्ष**	**प्ररूप 1 में यथा घोषित अप्रकटित आय**	**स्कीम के लिए पात्र अप्रकटित आय**	**संदेय रकम**			**कारण [स्तंभ (3) और (4) में रकम में अंतर की दशा में]**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**			**(6)**
				कर	**अधिभार**	**शास्ति**	
योग							

घोषणाकर्ता को उपरोक्त स्तंभ (5) के अनुसार संदेय रकम का संदाय 30 नवंबर, 2016 को या उससे पहले करने का निदेश दिया जाता है।

30 नवंबर, 2016 तक संदेय रकम का संदाय नहीं करने की दशा में प्ररूप-1 के अधीन घोषणा को शून्य समझा जाएगा और उसे कभी भी नहीं किया गया समझा जाएगा।

.....
पदाभिहित प्राधिकारी का नाम, हस्ताक्षर और मुहर

स्थान .....
तारीख.....

आय घोषणा स्कीम, 2016 की बाबत वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 187 की उपधारा (1) के अधीन संदाय की सूचना

आय घोषणा स्कीम नियम, 2016

प्ररूप 3

[नियम 4(4) देखिए]

सेवा में,

प्रधान आयुक्त/आयुक्त

.....

महोदय/महोदया

प्ररूप-2 में प्रमाणपत्र फा.सं.....तारीख.....द्वारा आपसे प्राप्त अभिस्वीकृति के अनुसरण में किए गए संदाय के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

क्र. सं.	बैंक का बीएसआर कोड	जमा की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	चालान का क्रम संख्यांक	रकम (रु0)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

पूर्वोक्त ब्यौरे के अनुसार संदाय का सबूत संलग्न करें।

स्थान.....

तारीख.....

.....

हस्ताक्षर

.....

पदनाम

.....

पता

.....

पैन (स्थायी लेखा संख्यांक)

आय घोषणा स्कीम, 2016 की बाबत वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 183 के अधीन घोषणा का प्रमाणपत्र

आय घोषणा स्कीम नियम, 2016

प्ररूप 4

[नियम 4(5) देखिए]

आयकर प्रधान आयुक्त/आयुक्त का कार्यालय

.....

.....

यह अभिस्वीकृति की जाती है कि निम्नलिखित की बाबत वित्त अधिनियम, 2016 की धारा 183 के अधीन घोषणा स्वीकार की गई है :

1) घोषणाकर्ता का नाम और पता .....

.....

.....

2) पुत्र/पुत्री/पत्नी .....

3) पैन (स्थायी लेखा संख्यांक) .....

4) रसीद सं0 और घोषणा फाइल करने की तारीख .....

5) प्ररूप -2 में जारी अभिस्वीकृति के अनुसार घोषणा के ब्यौरे :

क्रम सं.	निर्धारण वर्ष	घोषित और स्वीकृत अप्रकटित आय की रकम	जहां घोषित अप्रकटित आय, आस्ति में विनिधान के रूप में है, वहां आस्ति का विवरण

6) घोषित और स्वीकृत अप्रकटित आय पर संदेय कर .....रु0

7) घोषित और स्वीकृत अप्रकटित आय पर संदेय अधिभार .....रु0

8) घोषित और स्वीकृत अप्रकटित आय पर संदेय शास्ति .....रु0

9) संदेय कुल रकम (6) + (7) + (8) .....रु0

10) संदत्त कर के ब्यौरे

क्र.सं.	बैंक का बीएसआर कोड							जमा की तारीख (दिन/मास/वर्ष)								चालान का क्रम संख्यांक					रकम (रु0)								
(1)	(2)							(3)								(4)					(5)								
(i)																												
(ii)																												

11) घोषणाकर्ता 30.09.2017 को या उससे पहले वास्तविक स्वामी के नाम में बेनामी संपत्ति के अंतरण का सबूत देगा, जिसमें असफल रहने पर बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) अधिनियम, 1988 से उन्मुक्ति उपलब्ध नहीं होगी ।

तारीख.....

.....

(आयकर प्रधान आयुक्त/आयुक्त)

टिप्पणी : कोई भी प्रमाणपत्र तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक संदेय कर, अधिभार और शास्ति की कुल रकम का संदाय नहीं कर दिया गया है ।

(एकता जैन)
उप सचिव, भारत सरकार